



Neutral Citation No. - 2026:AHC:55445

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी याचिका संख्या - 6773 वर्ष 2026

प्रबंधन समिति और अन्य

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश देश राज्य और अन्य

...प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: ओम प्रकाश ओझा, रबींद्र नाथ ओझा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी., योगेश कुमार सक्सेना

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

1. हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री ओ.पी. ओझा, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता और दीवानी विविध पक्षकारीकरण आवेदन संख्या 2/2026 तथा दीवानी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विविध बर्खास्तगी आवेदन संख्या 3/2026 के समर्थन में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री योगेश कुमार सक्सेना की बात सुनी। ये आवेदन पहले से ही अभिलेख में हैं।

2. उक्त आवेदन आनंद कुमार सिंह द्वारा सोसायटी की प्रबंधन समिति के प्रबंधक के रूप में दायर किए गए हैं। वे पिछले दौर के मुकदमों की कार्यवाही और उनमें पारित आदेशों को रिकॉर्ड में लाना चाहते हैं।

3. आवेदन के समर्थन में दिए गए हलफनामे और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों में बताए गए कारणों के आधार पर, पक्षकार बनाने का आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

4. श्री आनंद कुमार सिंह को याचिका में प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में शामिल माना जाता है।

5. यह रिट याचिका समिति की प्रबंधन समिति की ओर से शिओराज सिंह (प्रबंधक) के माध्यम से दायर की गई है, जिसमें प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं के उस अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई है, जिसमें वर्ष 2025-26 के लिए समिति की प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों की सूची पंजीकृत करने का अनुरोध किया गया है। दूसरी प्रार्थना दिनांक 01.12.2025 के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश देने की है, जिसमें केवल समिति के पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण का अनुरोध किया गया था।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने स्वयं न्यायालय का ध्यान याचिका के अनुलग्नक संख्या 8 की ओर दिलाया है, जिसके अनुसार सहायक रजिस्ट्रार ने दिनांक 15.12.2025 को नवीकरण प्रमाण पत्र जारी किया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. उक्त स्थिति का सामना करते हुए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने दूसरी प्रार्थना पर जोर नहीं दिया है।

8. अतः विचारणीय एकमात्र राहत पदाधिकारियों की सूची के पंजीकरण के संबंध में की गई प्रार्थना है।

9. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं की प्रबंधन समिति का बार-बार चुनाव हो चुका है और प्रबंधन समिति को लेकर कोई विवाद नहीं है, इसलिए सहायक रजिस्ट्रार को वर्ष 2025-26 के पदाधिकारियों की सूची पंजीकृत करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

10. नवगठित पक्षकार की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वाई.के. सक्सेना ने न्यायालय का ध्यान याचिका के अनुच्छेद 18 और 21 की ओर आकर्षित किया, जो इस प्रकार हैं:-

18. प्रबंधन समिति के संबंध में कोई विवाद नहीं है और समिति समय सीमा से बाहर नहीं है।

21. प्रबंधन समिति का कोई प्रतिद्वंद्वी दावा उप रजिस्ट्रार, फर्म, सोसायटी और चिट, कानपुर, क्षेत्र कानपुर के समक्ष लंबित नहीं है, लेकिन प्रतिवादियों ने वर्ष 2024-2025 के लिए प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों की सूची पंजीकृत नहीं की है।

11. यह निवेदन किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया है कि प्रबंधन समिति के संबंध में कोई प्रतिद्वंद्वी दावे या विवाद नहीं हैं, हालांकि पक्षों के बीच विभिन्न रिट याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें रिट सी संख्या 3085/2020, 34269/2021, 7794/2021 और रिट सी संख्या 31109/2022 शामिल हैं। यह भी निवेदन किया जाता है कि वर्तमान याचिकाकर्ताओं द्वारा,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जो रिट सी संख्या 31109/2022 में प्रतिवादी हैं, एक प्रति-हलफनामा दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति भी पक्षकार बनने के आवेदन के साथ संलग्न की गई है।

12. यह निवेदन किया गया है कि रिट याचिका का दायरण महत्वपूर्ण तथ्यों और कार्यवाही को घोर रूप से छुपाने पर आधारित है, ताकि इस न्यायालय से अनुकूल आदेश प्राप्त किया जा सके।

13. उक्त स्थिति का सामना करते हुए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दो रिट याचिकाएँ, रिट सी संख्या 3085/2020 और 34269/2021, निष्प्रभावी होने के कारण पहले ही खारिज कर दी गई हैं। उक्त आदेश इस न्यायालय के समक्ष रखे गए हैं। हालाँकि, विभिन्न रिट याचिकाओं को दाखिल करने और कम से कम एक याचिका के लंबित होने के संबंध में कोई विवाद नहीं है, जिसमें अंतरिम आदेश प्रभावी है और याचिकाकर्ता उसमें प्रतिवादी होने के नाते प्रति-शपथ पत्र दाखिल करके इसका विरोध कर रहे हैं।

14. उपरोक्त कार्यवाही के मददेनजर, याचिका के अनुच्छेद 18 और 21 में किए गए दावे स्पष्ट रूप से झूठे साबित होते हैं। इसके अलावा, उपरोक्त कार्यवाही और उसके परिणाम को छुपाना न केवल किसी भी राहत को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि याचिकाकर्ताओं ने हलफनामे पर झूठे बयान देकर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया है।

15. **चंद्र शशि बनाम अनिल कुमार वर्मा (1995) 1 एससीसी 21** में, सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि न्यायालयों को उनके कामकाज में अनुचित हस्तक्षेप से बचाने के लिए, झूठी गवाही, टालमटोल और प्रेरित झूठ जैसे अनैतिक कृत्यों में लिप्त लोगों से उचित रूप से निपटा जाना चाहिए, जिसके बिना किसी भी न्यायालय के लिए न्याय को सही मायने में और उन लोगों की

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संतुष्टि के अनुसार प्रशासित करना संभव नहीं होगा जो यह उम्मीद करते हुए न्यायालय में आते हैं कि अंततः सत्य की जीत होगी। लोगों को न्यायालयों पर तब विश्वास होगा जब उन्हें यह पता चलेगा कि "सत्य की ही जीत होती है" एक प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है।

16. **बुद्धि कोटा सुब्बाराई (डॉ.) बनाम के. पारासरन, (1996) 5 एससीसी 530** में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि किसी भी वादी को अपने मामलों को अपनी इच्छानुसार निस्तारण के लिए अदालत के समय और सार्वजनिक धन का असीमित उपयोग करने का अधिकार नहीं है। न्याय तक आसान पहुंच का दुरुपयोग गलत या तुच्छ याचिकाएं दायर करने के लाइसेंस के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।

17. **अरुणिमा बरुआ बनाम भारत संघ (2007) 6 एससीसी 120** में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि यह सर्वविदित कानून है कि न्यायालय को महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार करने का अधिकार है। यह भी माना गया कि न्यायालय के विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का आह्वान करने वाले व्यक्ति को गलत इरादे से न्यायालय में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

18. **प्रेस्टीज लाइट्स लिमिटेड बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, (2007) 8 एससीसी 449** में, सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि यह सर्वविदित है कि विशेषाधिकार उपचार कोई सामान्य बात नहीं है। असाधारण शक्ति का प्रयोग करते समय, एकरिट न्यायालय वास्तव में उस पक्ष के आचरण को ध्यान में रखेगा जो ऐसे अधिकार क्षेत्र का आह्वान कर रहा है। यदि आवेदक पूर्ण तथ्य प्रकट नहीं करता है या प्रासंगिक सामग्री को छुपाता है या अन्यथा न्यायालय को गुमराह करने का दोषी है, तो न्यायालय मामले का निर्णय किए बिना कार्रवाई को खारिज कर सकता है। यह नियम

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



व्यापक जनहित में बेईमानवादियों को न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने और उसे धोखा देने से रोकने के लिए विकसित किया गया है। रिट अधिकार क्षेत्र का मूल आधार सच्चे, पूर्ण और सही तथ्यों का प्रकटीकरण है। यदि महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट रूप से नहीं बताए जाते हैं या छुपाए जाते हैं या विकृत किए जाते हैं, तो रिट न्यायालयों का कामकाज ही असंभव हो जाएगा।

19. के.डी. शर्मा बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य, (2008) 12 एससीसी 481 में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि कोई भी वादी न्यायालयों के साथ "लुका-छिपी" नहीं खेल सकता या "चुपके से काम नहीं चला सकता" और उसे स्पष्ट तथ्यों और सच्चाई के साथ पेश होना चाहिए। महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाना या छुपाना किसी भी वादी के लिए निषिद्ध है, यहाँ तक कि वकालत की तकनीक के रूप में भी नहीं। ऐसे मामलों में न्यायालय नियम निसी का पालन करने के लिए बाध्य है और ऐसे आवेदक पर न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए अवमानना का दंड लगाया जाना आवश्यक है।

20. दलीप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2010) 2 एससीसी 114 में सर्वोच्च न्यायालय ने बेईमानवादियों पर कड़ी कार्रवाई की और जीवन मूल्यों में लगातार गिरावट को देखते हुए, उसने निम्नलिखित टिप्पणी की:

“कई शताब्दियों तक भारतीय समाज ने जीवन के दो मूलभूत मूल्यों को संजोकर रखा, अर्थात् “सत्य” और “अहिंसा”। महावीर, गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी ने लोगों को इन मूल्यों को अपने दैनिक जीवन में आत्मसात करने के लिए मार्गदर्शन दिया। स्वतंत्रता-पूर्व युग में प्रचलित न्याय व्यवस्था का एक अभिन्न अंग सत्य था और लोग न्यायालयों में परिणाम की परवाह किए बिना सत्य बोलने में गर्व महसूस करते थे। हालाँकि, स्वतंत्रताोत्तर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



काल में हमारी मूल्य प्रणाली में भारी परिवर्तन आए हैं। भौतिकवाद ने पुराने मूल्यों को ढक लिया है और व्यक्तिगत लाभ की खोज इतनी तीव्र हो गई है कि मुकदमेबाजी में शामिल लोग न्यायालय की कार्यवाही में झूठ, गलत बयानी और तथ्यों को दबाने से भी नहीं हिचकिचाते।”

“पिछले 40 वर्षों में, मुकदमेबाजों का एक नया पंथ उभर कर आया है। इस पंथ से जुड़े लोगों को सत्य के प्रति कोई सम्मान नहीं है। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्लज्जतापूर्वक झूठ और अनैतिक साधनों का सहारा लेते हैं। मुकदमेबाजों के इस नए पंथ द्वारा उत्पन्न चुनौती का सामना करने के लिए, अदालतों ने समय-समय पर नए नियम बनाए हैं और अब यह सर्वविदित है कि जो मुकदमेबाज, न्याय की धारा को दूषित करने का प्रयास करता है या जो न्याय के शुद्ध स्रोत को दूषित हाथों से छूता है, वह किसी भी प्रकार की राहत, अंतरिम या अंतिम, का हकदार नहीं है।”

21. अमर सिंह बनाम भारत संघ (2011) 7 एससीसी 69 में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि सदियों से न्यायालय उन वादियों को नापसंद करते रहे हैं जो, न्यायालयों को धोखा देने और गुमराह करने के इरादे से, तथ्यों का पूर्ण खुलासा किए बिना कार्यवाही शुरू करते हैं। न्यायालयों ने माना कि ऐसे वादी जो "अस्वच्छ इरादे" से आते हैं, उन्हें अपने मामले की योग्यता के आधार पर सुनवाई का अधिकार नहीं है।

22. किशोर समरित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2012 (10) स्केल330 में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि न्यायाधीश का संपूर्ण कार्य पक्षों के अभिवेदनों, दस्तावेजों और तर्कों से सत्य को पहचानना है, क्योंकि सत्य ही न्याय वितरण प्रणाली का आधार है। समय बीतने के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



साथ, यह महसूस किया गया है कि लोग न्यायालयों में सत्य बोलने में गर्व महसूस करते थे, चाहे परिणाम कुछ भी हो, लेकिन यह प्रथा अब सभी मामलों में सही साबित नहीं होती। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि न्यायालय केवल दो पक्षों के बीच किसी विवाद में अंपायर की भूमिका नहीं निभाता और अंत में यह घोषित नहीं करता कि कौन जीता और कौन हारा, बल्कि पक्षों से स्वतंत्र, न्यायालय का अपना एक कानूनी कर्तव्य है कि वह कार्यवाही में सक्रिय भूमिका निभाए और सत्य तक पहुंचे, जो न्याय प्रशासन की नींव है। इसलिए, सत्य को न्यायालयों के लिए प्रेरणा का आदर्श बनना चाहिए। यह निम्न द्वारा प्राप्त किया जा सकता है: न्यायालयों को सत्य के सक्रिय अन्वेषक बनने के लिए विधिवत रूप से बाध्य करना.....न्यायालय का यह परम कर्तव्य है कि वह बेईमानी और कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन करने के किसी भी प्रयास को प्रभावी ढंग से रोके और यह सुनिश्चित करे कि न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के परिणामस्वरूप किसी को भी कोई गलत, अनधिकृत या अन्यायपूर्ण लाभ न मिले। इस प्रवृत्ति को रोकने का एक तरीका उचित या दंडात्मक जुर्माना लगाना है।

23. **धनंजय शर्मा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (1995) 3 एससीसी 757** में यह देखा गया है कि झूठा हलफनामा दाखिल करना अवमानना क्षेत्राधिकार में कार्रवाई शुरू करने का आधार था और संबंधित व्यक्तियों को दंडित किया गया था।

24. उपरोक्त निर्णयों से प्राप्त सार यह है कि भारतीय समाज द्वारा सदियों से पोषित दो मूलभूत मूल्यों में से एक "सत्य" (सच्चाई) है और इसे दबा दिया गया है। स्वतंत्रता-पूर्व युग में न्याय व्यवस्था का अभिन्न अंग सत्य था, लेकिन भौतिकवाद ने इस पुराने लोकाचार को ढक लिया है और निजी लाभ की लालसा इतनी तीव्र हो गई है कि मुकदमेबाजी में शामिल लोग अदालती कार्यवाही में झूठ, गलत बयानी और तथ्यों को छिपाने का सहारा लेने से भी नहीं हिचकिचाते।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



25. अब यह सर्वविदित है कि जो वादी न्याय की धारा को दूषित करने का प्रयास करता है या न्याय के पवित्र स्रोत को दूषित हाथों से स्पर्श करता है, वह किसी भी प्रकार की राहत, चाहे अंतरिम हो या अंतिम, का हकदार नहीं है। न्यायालय से महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाना वास्तव में न्यायालय के साथ धोखाधड़ी करना है। सत्य को छुपाना असत्य को छुपाने के बराबर है, यह कहावत ऐसे मामलों में लागू होती है, जिनमें यह मामला भी शामिल है।

26. उपरोक्त के मद्देनजर, यह रिट याचिका, विधि की प्रक्रिया का घोर और स्पष्ट दुरुपयोग होने के कारण, अनुकरणीय जुर्माने सहित खारिज किए जाने योग्य है।

27. तदनुसार, याचिकाकर्ताओं पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए रिट याचिका **खारिज** की जाती है।

28. याचिकाकर्ताओं द्वारा आज से एक माह के भीतर इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष लागत जमा की जाएगी, ऐसा न करने पर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (अनुपालन) यह सुनिश्चित करेंगे कि यह आदेश कानपुर देहात के कलेक्टर को भेजा जाए ताकि भू-राजस्व के बकाया के रूप में लागत राशि की वसूली की कार्यवाही शुरू की जा सके और उसे पूरा किया जा सके।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र)

18 मार्च 2026

ज्योत्सना

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।